न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :– जीसीएमएरा नंबर 2023/36
मैन्युअल नंबर 82/2023

रजु दिनांक: :– 27.09.2023

1. पारसमल पुत्र श्री सूरजमल जाति जैन निवासी ग्राम महारिया तहसील लालसोट वर्तमान निवासी जी–26 तिरूपति बालाजी नगर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के सामने सांगानेर जयपुर
2. नरेन्द्र पुत्र सूरजमल (फौत)
2/1 गोकुलेन्द्र } पि0 नरेन्द्र कुमार
2/2 वीरेन्द्र
2/3 गीता पत्नी नरेन्द्र कुमार
{ जाति जैन निवासी 23/38 सैक्टर नं0 4 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर
3. भरतलाल पुत्र कैलाशचन्द जाति जैन निवासी ग्राम महारिया हाल आबाद प्लाट सं0 108, न्याय वाटिका बी ब्लॉक बास बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. अखिलेश पुत्र कैलाशचन्द जाति जैन निवासी ग्राम महारिया हाल आबाद प्लाट सं0 108, न्याय वाटिका बी ब्लॉक बास बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र सूरजमल (फौत)
(1/1) अखिल जैन पुत्र बजरंगलाल जैन } निवासी मलारना डूंगर
(1/2) नारंगी जैन पत्नी बजरंगलाल जैन } जिला स0 माधोपुर
(1/3) पूनम जैन पुत्री बजरंगलाल जैन पत्नी अभिषेक जैन निवासी पीपलवाडा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत महारिया पंचायत समिति लालसोट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत महारिया।

(गैर निगरानीकर्त्ता)

उपस्थितः– 01. निगरानीकर्त्ता की ओर से : श्री बृजमोहन गौड एडवोकेट
02. गैर निगरानीकर्त्ता सं0 1/1 लगा0 1/3 की ओर से : श्री अभिषेक तिवाडी एडवोकेट

निर्णय दिनांक: 27/1/26

निगरानी विरूद्ध आदेश पट्टा देहानी ग्राम पंचायत महारिया द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 07–11–2003 जिसकी पालना में विपक्षी संख्या 01 के नाम दिनांक 7–11–04 को प्रश्नगत पट्टा प्रचलित किया गया

अति0 जिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकारान की ओर से एक निगरानी विरूद्ध आदेश पट्टा देहानी ग्राम पंचायत महारिया द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 7.11.2003

जिसकी पालना में विपक्षी संख्या 01 के नाम दिनांक 07.11.04 को प्रश्नगत पट्टा प्रचलित किया गया इस आशय की पेश की गई कि आबादी भूमि में दुकान खाम जिसकी लम्बाई पूर्व पश्चिम 24 फीट 6 इंच तथा चौडाई उत्तर दक्षिण 18 फीट स्थित थी। खाम दुकान ध्वस्त हो जाने के बाद श्री सूरजमल जी ने अपनी दुकान की भूमि पर नींव खुदवाकर जमीन की सतह तक भरवा रखी थी। स्व0 सूरजमल की मृत्यु सन 2001 में हो गई थी उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्त्ता रोजगार के लिए जयपुर रहने लग गये तथा विपक्षी संख्या 1 ग्राम महारिया छोडकर ग्राम मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर में स्थाई रूप से बस गये। विपक्षी संख्या 1 बजरंगलाल ने ग्राम मलारना डूंगर में रहते हुए निगरानीकर्त्ता की जानकारी के बिना ग्राम पंचायत महारिया में आवेदन प्रस्तुत कर दुकान का पट्टा अपने नाम पृथकशः बनवा लिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था क्योंकि स्व0 सूरजमल के उत्तराधिकारीगण निगरानीकर्त्ता संख्या एक व दो तथा निगरानीकर्त्ता संख्या 3 व 4 के पिता स्व0 कैलाशचन्द तथा विपक्षी संख्या एक बजरंगलाल है। उक्त दुकान का पट्टा ग्राम पंचायत ने दुकान की भूमि के स्वामित्व की जांच किये बिना विपक्षी संख्या एक के नाम अनाधिकृत रूप से बना दिया। निगरानीकारान ने उक्त पट्टा प्रचलित करने के प्रस्ताव व आदेश विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवम न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण खण्डनीय करार दिया है।

निगरानीकर्तागण ने आगे अभिवचन किए है कि प्रश्नगत पट्टा में अंकित भूमि ग्राम महारिया की आबादी में मुख्य बाजार में स्थित है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचगण की जानकारी में भली प्रकार था कि पट्टा में अंकित भूमि स्व0 सूरजमल के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिसका पट्टा बनवाने को विपक्षी संख्या एक पृथकशः अधिकृत नहीं था। पट्टा देहानी विपक्षी संख्या एक को करने के लिए राज0 पंचायत राज नियमों के भूमि विक्रय हेतु बनाये हुए नियमों की पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति सूचना पत्र प्रकाशित नहीं करवाया गया। विपक्षी संख्या एक से स्वामित्व एवम् आधिपत्य का कोई सबूत नहीं लिया। इस प्रकार कथन करते हुए निगरानीकर्त्तागण ने विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 07.11.03 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 एवं दिनांक 07.11.04 को प्रचलित प्रश्नगत पट्टा निरस्तनीय करार दिया है।

निगरानीकर्त्तागण ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निगरानी याचिका स्वीकार कर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 07.11.03 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 एवं दिनांक 07.11.04 को प्रचलित प्रश्नगत पट्टा निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगानीकारान की तलवी की गई। निगरानीकार सं0 2 व गैर निगरानीकार संख्या 1 की मृत्यु होने पर निगरानीकार सं0 2 गैर निगानीकार सं0 1 के स्थान पर उनके वारिसान निगरानीकार सं0 2/1 लगा0 2/3 व निगरानीकार सं0 1/1 लगा0 1/3 को रिकॉर्ड पर लिया गया। गैर निगानीकारान की ओर से कोई उपस्थित नही आया। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख ग्राम पंचायत महारिया से तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत महारिया द्वारा पत्र क्रमांकःग्रा.पं./महारिया/spl/

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

2023–24 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल पट्टा पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होना अवगत करवाया गया।

अधिवक्ता निगरानीकारान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त खातेदारी की सम्पत्ति में केवल गैर निगरानीकार सं0 1 बजरंग के नाम से पट्टा जारी कर दिया गया जबकि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण सूरजमल के उत्तराधिकारीगण के नाम संयुक्त पट्टा जारी होना चाहिए था। अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा इस प्रकार कथन करते हुए प्रश्नगत पट्टादेहानी की कार्यवाही तथ्यात्मक व विधिक रूप से गलत होने के कारण निरस्तनीय करार देते हुए निगरानीकर्त्तागण की निगरानी स्वीकार कर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 07.11.03 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 एवं दिनांक 07.11.04 को प्रचलित प्रश्नगत पट्टा निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता निगरानीकारान की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगरानीकार के इस कथन से हम सहमत है कि पैतृक भूमि पर सभी उत्तराधिकारीगण के नाम से ही पट्टा दिया जाना चाहिए, केवल एक ही उत्तराधिकारी को पट्टा जारी कर दिया जाना विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत महारिया की रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल पट्टा पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निगरानीकारान की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत महारिया को रिमाण्ड किया जाना उचित है अतः निगरानीकारान की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत महारिया द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 बजरंगलाल के नाम दिनांक 07.11.03 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 से दिनांक 7.11.04 को प्रचलित पट्टा खारिज किया जाता है तथा प्रकरण नगर पालिका लालसोट को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित पक्षकारान की विधिवत सुनवाई की जाकर संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.2.26 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना-आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा